कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना

(प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास प्रभाग)

अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ पथ (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना–800014
E-mail-ccfhrdbihar@gmail.com

आदेश

स्था०(सी०)–33 / 2024–43 दिनांक :– 16/04/2025

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–37 / 2023 दिनांक–01.09.2023 के आलोक में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरान्त दिनांक–06.08.2024 को संयुक्त रूप से 116 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार हेतु कुल–57 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी।

2. निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, को बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वाहन चालक के पद पर Level-2 (19900–63200) के वेतनमान में अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदन	संयुक्त मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम / पता	लिंग	चयन कोटि / कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
1	DR013774	22	**श्री श्रीकांत पासवान** पिता– श्री श्यामनारायण पासवान, ग्राम–मदसारी, थाना–इमामगंज, पोस्ट–मल्हारी, जिला–गया बिहार–824206	पुरूष	सामान्य (अनुसूचित जाति)	10.10.1992	
2	DR014122	29	**श्री पिंटू कुमार** पिता– श्री चंदर यादव ग्राम–करतारा, थाना+पोस्ट–पकरीबरावाँ, नवादा बिहार–805124	पुरूष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	15.12.1999	
3	DR002657	52	**श्री अरविंद कुमार साह** पिता– श्री कन्हैया लाल साह ग्राम–मठिया टोले खानसामा, पोस्ट+थाना–हथुआ, जिला–गोपालगंज, बिहार–841436	पुरूष	सामान्य (अनुसूचित जनजाति)	10.02.1992	
4	DR013047	65	**श्री रोहिताभ बच्चन** पिता– श्री शिव बचन ग्राम–मुस्तफाबाद कॉलोनी, थाना+पोस्ट–रामपुर, जिला–गया, बिहार–823001	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति)	28.03.1996	

5	DR021795	85	**श्री चंदन कुमार पाण्डेय** पिता– श्री जय प्रकाश पाण्डेय ग्राम–जमुआँ टोला, पोस्ट–करूप, थाना–काराकाट, जिला–रोहतास, बिहार–802214	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	13.02.1994	
6	DR004184	86	**श्री गणेश कुमार** पिता– श्री महेश प्रसाद ग्राम–दुलहपुर, पोस्ट–कोरारी, थाना–बिन्द, जिला–नालन्दा, शहर–बिहारशरीफ, बिहार–803110	पुरूष	पिछड़ा वर्ग (पिछड़ा वर्ग)	20.03.1994	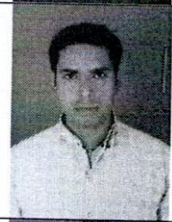
7	DR018506	92	**श्री राहुल तांती** पिता– श्री विजय तांती ग्राम–हंसरा, पोस्ट–विशुनपुर, थाना–वजीरगंज, जिला–गया, बिहार–805131	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	01.07.1992	
8	DR016445	102	**श्री प्रकाश कुमार** पिता– श्री भोला राम ग्राम–हकिमाबाद, पोस्ट+थाना–समस्तीपुर, जिला–समस्तीपुर, बिहार–848101	पुरूष	अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति)	05.04.1990	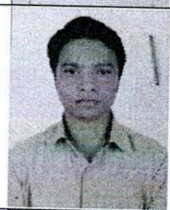
9	DR016075	105	**श्री सौरभ कुमार** पिता– श्री सच्चिदा नंद प्रसाद ग्राम+पोस्ट–बहादुरपुर, थाना–रजौली, जिला–नवादा, बिहार–805125	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	25.01.1993	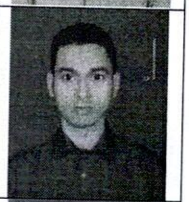
10	DR017189	112	**सुश्री रूबी कुमारी** पिता– श्री सरयू प्रसाद ग्राम–पिपराही, पोस्ट–शौनकला, थाना–गुरूया, जिला–गया बिहार–824211	स्त्री	सामान्य (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	08.01.1988	

3. नियुक्त वाहन चालकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4. यह नियुक्ति बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

5. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाहन चालक के रूप में 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वाहन चालक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोष जनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक– 31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वाहन चालकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(सुरेन्द्र सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– स्था०(सी०)33/2024–HRD/ दिनांक :–......../....../2025

प्रतिलिपिः–ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सी०डी० एवं अतिरिक्त दो प्रतियों के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे आगामी राजपत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
मुख्य वन संरक्षक
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– स्था०(सी०)33/2024–HRD/ दिनांक :–......../....../2025

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी वन संरक्षक, बिहार/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
मुख्य वन संरक्षक
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– स्था०(सी०)33 / 2024–HRD/ दिनांक :–........ / ...... / 2025

प्रतिलिपिः–उपरोक्त सभी नवनियुक्त वाहन चालकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से अपना योगदान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0 / –
मुख्य वन संरक्षक
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– स्था०(सी०)33 / 2024–HRD/ 206 दिनांक :–16 / 04 / 2025

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को अविलम्ब विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

16/04/2025
मुख्य वन संरक्षक
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास
Vivek बिहार, पटना।